## महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र) OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-243/2024-25/ No.Au/Trg/11-243/2024-25/ दिनांक: 26 नवंबर 2024 Date: 26 November 2024

## अनुभागीय आदेश सं./SECTIONAL ORDER NO. 265

अनुभागीय आदेश संख्या 230 दिनांक 14.10.2024 के आंशिक संशोधन में, अनुभागीय आदेश संख्या 253 दिनांक 13.11.2024 के साथ पठित, इस कार्यालय की श्रीमती जैथा वी.एस., सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को आरसीबी एंड केआई, हैदराबाद में आयोजित होने वाले निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया है।

In partial modification of Sectional Order No. 230 dated 14.10.2024 read with Sectional Order No. 253 dated 13.11.2024, Smt Jaitha V S, AAO of this office has been nominated for the following training programme to be conducted at RCB&KI, Hyderabad.

SI No	Name of the Official Originally Nominated	Name of Official change in nomination	Dates of Training	Name of the course
1.	Shri Rajcev Kumar, AAO/AMG III	Smt Jaitha V S,	25.11.2024 to 29.11.2024	Audit of Fraud & Forensics and anti – corruption

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using her Official email ID. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months of the last day of Training.

(उप-महालेखाकार के दिनांक 26.11.2024 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

## प्रतिलिपि:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक्र .प.ले)-।)/(ले.प॥)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए